



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा-2019

के आयोजन की सूचना दिनांक 27.08.2021

प्रवेश-पत्र उपलब्धता अवधि :

परीक्षा तिथि

दिनांक 09.09.2021 से दिनांक 17.09.2021 तक

19.09.2021

- 01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा 2019 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 04/2019 दिनांक 14.11.2019 के संदर्भ में आयोजित की गयी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 21.12.2020 को घोषित किया गया है। उक्त परीक्षा में सफल आवेदकों हेतु राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा 2019 दिनांक **19.09.2021** को इंदौर स्थित परीक्षा केंद्र पर निम्नानुसार आयोजित की जायेगी :-

प्रश्नपत्र	विवरण	समय
प्रथम प्रश्नपत्र	सामान्य अध्ययन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, प्रारम्भिक गणित, सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी आदि	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
द्वितीय प्रश्नपत्र	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	दोपहर पश्चात 02:00 बजे से 04:00 बजे तक

प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से OMR आधारित होगी

- 02 मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 09.09.2021 से दिनांक 17.09.2021 तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किये जायेंगे। प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक mponline के अधिकृत कियोस्क का भी उपयोग कर सकते हैं। कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु ₹ 5/- पोर्टल शुल्क देय होगा।
- 03 आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य फोटो युक्त मूल पहचान-पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-

1. मतदाता परिचय पत्र	2. आधार कार्ड (फोटोकापी मान्य)	3. ड्रायविंग लायसेंस
4. आयकर का पेन कार्ड	5. पासपोर्ट	6. फोटो सहित बैंक पासबुक
7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र	8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत आवेदकों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व जारी फोटो पहचान पत्र	
9. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र		

- 04 मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे:-

(1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

(2) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी, तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

- 05 राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम राज्य वन सेवा परीक्षा 2019 के विज्ञापन में प्रकाशित किया गया है।

सचिव